




2021/220

फर्द अहकाम

ब्रीडी डी बनाम ज्ञान पेन्चपत स्वतपुरा

यालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

आद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 99/21

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12-10-21	<p>प्राथम्या की ओर से यह प्रवेता पत्र वकील श्री अशोक शर्मा ने पेश किया। प्राथम्या के वकील को प्रवेता पत्र अज्ञापी निवेदन पत्र पुराना पत्रावली का व प्रस्तुत दस्तावेजों का संशोधन अवसोमन किया। पत्रावली का अवसोमन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवसोमन करते के पश्चात पत्रावली में अज्ञापी को पुरे किता एक पक्षीय स्वगत किता जाना उचित प्रतीत नहीं है। अतः अज्ञापी को अज्ञापी बन्नी बन्नी शर्मा को नोक्सि सेनावाही जाना पत्रावली केम स्वतपुरा में दिनांक 14.12.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर बस्सी जयपुर</p>	<p style="text-align: right;"> V. D. O O.P. स्वतपुरा</p>
14.12.21	<p>पत्रावली अज्ञापी अज्ञापी जोको के संगे अज्ञापी केम स्वतपुरा में पेश हुई। ज्ञान पेन्चपत स्वतपुरा के ज्ञान प्र. प्र. का बन्ना पेश किया जो शास्त्रि मिसल है प्राथम्या की ओर से वकील श्री अशोक शर्मा उपस्थित किन्को प्रवेता पत्र अज्ञापी निवेदन पत्र पुराना पत्रावली वकील प्राथम्या ने प्रवेता पत्र पेश कर निवेदन किया कि वर प्रस्तुत आवाही र.क. 347 र.क. 2.5543 है प्रस्तुत किता ज्ञान स्वतपुरा है किन्को प्राथम्या का 6/90 हिस्सा है जो प्राथम्या किन्को एक किता किन्को नही</p> <p style="text-align: center;"></p>	

2021/220

फर्द अहकाम
बनाम गांव पंचायत खेतपुरा

घालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 98/21

क्रमांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------------------------	----------------------	-------------

उक्त अधिकांश पार्श्व पत्र आपकी निवेदनानुसार वीकाल कर अधिसूचना के द्वारा अधिकांश निवेदनानुसार से पाकर फरमानों के बाद प्राप्त आज्ञा में अधिकांश के अन्तर्गत आकर एक विस्तृत की सूक्ति निम्न प्रकार से प्राप्त कर के मात्र मन्तव्य पीछे रखा है इधर प्राप्त है पर जोर सचुवाती तरीके से लिखी प्रकार का व्यवहार नहीं करते। वही ख. नं. 347 अथवा उसके किसी भाग पर कोई रास्ता निकालने न सागर या खेतपुरा के करीब की सड़क बनाए।

अधिसूचना के उक्त पार्श्व पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया जायल पंचायत समिति के जो द्वारा स्वीकृति सेता F5/2021-22/76833 दिनांक 4.2.21 आदेश के आधार पर आपने जेबल सड़क निकाल पुरा भीमा से सागर रोड तक खेतपुरा को आपने व्यवस्था जमाने उक्त तार में वाइरी करवा ख. नं. 347 की पार्श्व पत्र डाल पर जेबल सड़क का वर्तमान स्थिति पर आपने इतने व्यवस्था है जबकि उक्त कार्य विनियोजन आदेश एक 27 (263) गा. वि. प्र. 5/ज. के एन/34मत/2015-2016/E.O. No. 9299 दिनांक 13.4.2017 के आधार पर वाइरी की सहमति दिनांक 22.6.21 प्राप्त पंचायत खेतपुरा को प्रदान की गयी है उक्त सहमति में वाइरी द्वारा जेबल सड़क बनाने की शर्त सहमति देते हुए मन्तव्य में अन्तर्गत सड़क की सुविधा में व्यवधान

बि. ए.

